भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3896

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण

3896. श्री सचिदानन्दम आर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावल के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद सरकार ने इसकी खरीद कम की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): धान/चावल की खरीद न केवल उत्पादन पर निर्भर करती है, बल्कि विपणन योग्य अधिशेष, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), प्रचलित बाजार दर, मांग और आपूर्ति की स्थिति और निजी व्यापारियों की भागीदारी आदि जैसे अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है।

धान की खरीद के अनुमान को भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ परामर्श से प्रत्येक विपणन मौसम के प्रारंभ होने से पहले अनुमानित उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष और कृषि फसल पैटर्न के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में धान का उत्पादन और खरीद निम्नानुसार है:-

केएमएस	उत्पादन (लाख टन में)	खरीद (लाख टन में)
2020-21	1824.86	895.66
2021-22	1932.40	857.30
2022-23	2026.19	846.45
2023-24	2057.09	782.20
2024-25	1790.06#	354.39*

#कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार।

*दिनांक 12.12.2024 तक।

...2/-

(ग) और (घ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों को प्रौद्योगिकी आधारित करने के भाग के रूप में, पीडीएस की दक्षता में सुधार लाने हेतु और लीकेज को कम करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटाइज (100%) कर दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर क्रियान्वित किया गया है। साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (संघ राज्य क्षेत्रों चंडीगढ़, पुदुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण स्कीम को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन शुरू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अलावा, देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) उचित दर दुकानों (एफपीएस) को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी रूप में (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्नों के वितरण के लिए ईपीओएस डिवाइस संस्थापित कर स्वचालित किया गया है।

*****